समेकित बाल विकास सेवायें अंतर्गत ऑगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2016

ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु पूर्व में निर्गत की गई मार्गदर्शिका को विलोपित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ऑगनबाड़ी केन्द्रों के सफल संचालन हेतु नई मार्गदर्शिका निम्न प्रकार से अधिसूचित की जाती है–

1. **परिभाषाएँ** :– इस मार्गदर्शिका में जब तक संदर्भ में हो अन्यथा अपेक्षित ना हो–

(क) ''आँगनबाड़ी केन्द्र'' से अभिप्रेत है आई.सी.डी.एस. अन्तर्गत बाल विकास परियोजना के क्षेत्राधीन गाँव/टोलों में स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र।

(ख) ''आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका'' से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए सेविका/सहायिका के कार्य हेतु चयनित महिला।

(ग) ''वार्ड सदस्य/पंच'' से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित वार्ड सदस्य/पंच।

(घ) ''वार्ड की आम सभा'' से अभिप्रेत है किसी वार्ड में आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु आहूत बैठक।

(ङ) ''कोरम'' (Quorum) से अभिप्रेत है :–

(i) वार्ड के आम सभा के संदर्भ में मैपिंग पंजी में दर्ज वयस्क महिला एवं पुरूष की संख्या के कम से कम 10% व्यक्तियों की उपस्थिति।

(ii) चयन समिति के संदर्भ में चयन समिति के सदस्यों में से दो सदस्यों की उपस्थिति लेकिन सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(च) ''बाहुल्य वर्ग'' से अभिप्रेत है आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला वर्ग (जाति समूह) जिसे बिहार सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं/संकल्पों द्वारा संपोषित किया गया है यथा अनु.जनजाति, अनु.जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित), पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) तथा सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)।

(छ) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है किसी वार्ड में आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु गठित त्रिसदस्यीय समिति जिसमें संबंधित वार्ड सदस्य (अध्यक्ष), वार्ड पंच (उपाध्यक्ष) एवं संबंधित महिला पर्यवेक्षिका (सदस्य सचिव) शामिल है।

(ज) ''पोषक क्षेत्र'' से अभिप्रेत है किसी आंगनवाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र और इसमें मैपिंग पंजी में शामिल परिवारों का ही घर होगा।

(झ) ''मैपिंग'' से अभिप्रेत है पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में विहित प्रपत्र में सूचनाओं का सृजन एवं संधारण।

2. <u>मैपिंग</u>– किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र की मैपिंग संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में निम्न वर्णित प्रपत्र में घर–घर जाकर सूचनाओं का सृजन किया जायगा। मैपिंग के क्रम में किसी भी परिस्थिति में वार्ड की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना है।

मैपिंग प्रपत्र

दिनांक –

क. सं.	ऑगनबाड़ी केन्द्र का नाम	संबद्ध गॉव/टोले का नाम/वार्ड संख्या	परिवार के मुखिया का नाम	पिता/पति का नाम	पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची गृह सं0	पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची क्रम सं0	आरक्षण कोटि अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./पि.व./सामान्य (जाति का नाम सहित)	लाभुक परिवार के सदस्यों की संख्या								अभ्युक्ति
								व्यस्क सदस्यों की संख्या		7–18 साल के किशोरों की संख्या		0–3 साल के बच्चों की संख्या		3–6 साल के बच्चों की संख्या		
								पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	बालक	बालिका	बालक	बालिका	

वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर   महिला पर्यवेक्षिका का नाम एवं हस्ताक्षर

मैपिंग पंजी को अंतिम रूप देने के पूर्व महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा इसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय/वार्ड/पंचायत कार्यालय/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एक सप्ताह तक प्रकाशित किया जायेगा एवं आपत्तियों का निराकरण एक सप्ताह में करने के पश्चात् उसे अंतिम रूप दिया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। मैपिंग पंजी में किसी परिवार के छूट जाने पर महिला पर्यवेक्षिका को जिम्मेवार माना जायेगा जिसके लिए उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

3. <u>सेविका/सहायिका के लिए उम्र–</u> ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी जिसका मूल प्रमाण पत्र उनके द्वारा आम सभा में ही उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित ऑगनबाड़ी सेविका अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेंगी जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जायेगी।

4. <u>शैक्षणिक योग्यता–</u> ऑगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) (जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गयी हो) उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी।

5. **मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता–** ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/श्वसुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा।

6. <u>अयोग्यता–</u> सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12000/– (बारह हजार) रू. या उससे ज्यादा है/जन प्रतिनिधि/संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता की पत्नी/बहू सेविका/सहायिका के चयन के लिए अयोग्य होगीं। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दण्डित किया गया हो तो उसे भी ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद के लिए चयनित नहीं किया जायेगा।

7. <u>आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अर्हता–</u> ऑगनबाड़ी सहायिका के लिए न्युनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होगी। आंगनवाड़ी सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायगी। बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति–अनु0 जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के विधवा उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। इसमें से किसी भी अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर मेधा अंक के आधार पर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायगा। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अन्य अर्हताऐं आंगनवाड़ी सेविका के लिए निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप होगीं।

8. <u>आवेदन पत्रों की प्राप्ति–</u> आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का पद किसी कारण से रिक्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन उचित माध्यम से कराया जायेगा जिसमें आवेदन प्राप्त करने हेतु 15 दिनों का समय दिया जायेगा। आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की अर्हताओं एवं वार्ड की आम सभा के स्थान/तिथि/समय का इसमें उल्लेख रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएगें जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है (परिशिष्ट–1)।

साथ ही यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को चयन नहीं हो पाता है तो अगले सप्ताह के उसीदिन तिथि (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) व समय को वार्ड की आम सभा की बैठक निर्धारित होगी और उक्त बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

9. <u>कोरम (**Quorum**)</u> महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु बुलाई गई आमसभा की पंजी तैयार की जायेगी जिसमें मैपिंक पंजी के कम–से–कम 10 प्रतिशत वयस्कों की उपस्थिति से कोरम निर्धारित होगा।

10. <u>आम सभा–</u> आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आमसभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जायगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जायगी। आम सभा में ही संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा मेधा सूची एवं पैनल तैयार कर एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सर्वोच्च मेधा अंक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर नियुक्ति पत्र महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मुहरित एवं हस्ताक्षरित कर स्थल पर ही निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित की जायेगी। मेधा अंक का प्रतिशत समान होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। विधवा को मेधा अंक का प्रतिशत में पांच (5) अंक जोड़ कर मेधा अंक की गणना की जायेगी। यदि बाहुल्य वर्ग से मैट्रिक

उत्तीर्ण ऑगनबाड़ी सेविका के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो क्रमानुसार अनुसूचित जाति–अनु0 जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। चयन के बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं एक प्रति संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

11. <u>प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जाँच</u>–मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर आम सभा द्वारा चयनित ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के प्रमाण पत्रों की जांच तत्पश्चात 60 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा, जिसके पश्चात ही ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को मानदेय का भुगतान होगा। यदि जांच के दौरान उनके मूल प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाए गए तो उन्हें चयनमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगी।

12. <u>चयन संबंधी शिकायत पत्र का निष्पादन</u>– महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा चयनित ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के संबंध में कोई भी शिकायत की सूचना प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा जॉच की जायेगी तथा साक्ष्यों के आधार पर अपना जॉच प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसके संबंध में प्राप्त शिकायतों का निष्पादन दोनों पक्षों की सुनवाई कर सुस्पष्ट एवं मुखर आदेश साक्ष्य सहित पारित करेंगे जिसमें कोई भी गलती पाये जाने पर संबंधितों को इसके लिए जिम्मेवार माना जायेगा।

13. <u>अपील</u> – जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।

14. <u>त्याग–पत्र–</u> ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को एक माह की पूर्व सूचना पर अपने पद से लिखित त्यागपत्र दे सकती है जिसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा प्राप्ति तिथि के एक सप्ताह के बाद प्रभावी माना जायेगा। इसके अतिरिक्त त्यागपत्र देने वाली ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को पुनः बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

4/4/2016.
(वन्दना किनी)
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

पासपोर्ट आकार का फोटो अच्छी तरह चिपकाएँ और उस पर नाम या हस्ताक्षर अंकित न करें।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

(आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका–2016)

सेवा में,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

....

....

[ध्यातव्यः उपयुक्त रिक्त आयतों को नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से भरें]

01 (i) नाम (हिन्दी में) [ ]

(ii) पति का नाम [ ]

(iii) पति का व्यवसाय कृषि [ ] व्यवसाय [ ] नौकरी [ ] अन्य [ ]

(iii) श्वसुर का नाम [ ]

(iv) श्वसुर का व्यवसाय कृषि [ ] व्यवसाय [ ] नौकरी [ ] अन्य [ ]

(v) जन्मतिथि (अंकों में) दिन [ ] महीना [ ] वर्ष [ ]

(vii) रिक्ति के प्रकाशन की तिथि .... को उम्र वर्ष [ ]

(viii) दूरभाष संख्या (एस0टी0डी0 कोड सहित) [ ]   मोबाइल संख्या [ ]

02 (i) मतदाता सूची में परिवार के मुखिया (पति/श्वसुर) का नाम/क्रमांक– [ ]

(ii) मतदाता सूची में आवेदिका का क्रमांक– [ ]

03 स्थायी पता [ ]

[ ]

[ ]   पिनकोड [ ]

जिला [ ]   राज्य [ ]

04 शैक्षणिक योग्यता :

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड	संस्थान/ विद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	उत्तीर्ण होने की श्रेणी	प्राप्तांक पूर्णांक (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर)	प्रतिशत
मैट्रिक						

05 (i) क्या आप भारत के नागरिक है? [ ] 1 –हाँ 2 –नहीं

(ii) क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं? [ ] 1–हाँ, 2– नहीं

(iii) क्या आप किस आरक्षित वर्ग से है? [ ] 1 –हाँ 2 –नहीं

(iv) यदि हाँ, तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड रिक्त आयत में भरें? [ ]

02 – अ0जा0
03 – अ0ज0जा0
04 – अ0पि0व0
05 – पि0व0

06 वैवाहिक स्थिति – ☐ विवाहित ☐ विधवा

07 पति की वार्षिक आय ☐ आय का स्रोत– कृषि ☐ व्यवसाय ☐ नौकरी ☐ अन्य ☐

08 क्या आपको किसी न्यायालय से दण्डित किया गया है अथवा नहीं ? ☐ 1 –हाँ
2–नहीं

09 उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह : ☐

10 महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य का अनुभव (यदि कोई हो तो) : ....
....
....

नोट :– आवेदन के साथ जमा किए गए प्रमाण पत्रों की प्रति (संबंधित पर सही का निशान लगायें)

मैट्रिक/अष्ठम का प्रमाण पत्र ☐ मैट्रिक/अष्ठम का अंक पत्र ☐ आवासीय प्रमाण पत्र ☐

जाति प्रमाण पत्र ☐ विधवा प्रमाण पत्र ☐

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गई सूचनाएँ सत्य एवं सही है। मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है। फिर भी यदि ऊपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगी और मैं मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान : .... आवेदिका का

दिनांक : .... हस्ताक्षर : हिन्दी में ☐

टिप्पणी – आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों/कागजातों की केवल छायाप्रति संलग्न करें। मूल प्रति वार्ड की आम सभा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

....

(प्राप्ति रसीद)

श्रीमती .... पति का नाम–.. से. ....

पंचायत अन्तर्गत ....आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका/सहायिका पद पर चयन के लिए विहित प्रपत्र में उल्लिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या .... है।

दिनांक–

स्थान–

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर,

पूरा नाम एवं पदनाम

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

सेविका/सहायिका के चयन हेतु मेधा सूची का प्रपत्र

(आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका–2016)

आँगनबाड़ी केन्द्र सं0– .... आँगनबाड़ी केन्द्र का नाम– .... वार्ड सं0– ....

पंचायत– .... परियोजना का नाम– .... जिला– ....

क्र. सं.	अभ्यार्थी का नाम	पति/ससुर का नाम	पता	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	मैपिंग पंजी क्रमांक	मैट्रिक/अष्टम के उत्तीर्ण का संस्थान	मैट्रिक/अष्ठम प्राप्तांक/पूर्णाक	मैट्रिक/अष्ठम में प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

महिला पर्यवेक्षिका
–सह–
सदस्य सचिव
चयन समिति

वार्ड पंच
–सह–
उपाध्यक्ष
चयन समिति

वार्ड सदस्य
–सह–
अध्यक्ष
चयन समिति

[नोट :– सेविका पद हेतु मैट्रिक एवं सहायिका पद हेतु अष्ठम]

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका–2016)

चयन पत्र

आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 .... पंचायत ....

परियोजना का नाम .... जिला ....

1. श्रीमती..पति..जो ग्राम..................................
पोस्ट ....थाना...प्रखंड ....
जिला .... की स्थायी निवासी है, का आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में वार्ड सं0 .... ग्राम/टोला/मुहल्ला...के आँगनबाड़ी केन्द्र (कोड सहित)..के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक................................को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका– 2016 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं अथवा आपके द्वारा अपने कर्त्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा।
3. सेविका/सहायिका मानदेय आधारित सामाजिक कार्यकर्त्ता है, जो नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं है। सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र अन्तर्गत कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

दिनांक :– ....
स्थान :– ....

प्रतिहस्ताक्षरित

अध्यक्ष
चयन समिति

महिला पर्यवेक्षिका का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

....

प्रतिलिपि :– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ... /बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ... को सूचनार्थ प्रेषित।

महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर